न्यायालय सहायक कलक्टर (S D O) पीपाड़ शहर
पीठासीन अधिकारी, शैतानसिंह राजपुरोहित R.A.S.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या – 205/2019

प्रार्थीगण :
1. दौलाराम उर्फ देवाराम पुत्र जुगाराम
2. लाबुराम पुत्र जुगाराम

जातियान माली निवासीगण ग्राम जालीवाड़ा खुर्द तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगण :
1. विरमराम पुत्र रामदीन जाति माली निवासी जालीवाड़ा खुर्द तहसील पीपाड़ शहर
2. भूमिधारी जरीये तहसीलदार पीपाड़ शहर ।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राज. काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित अधिवक्ता
श्री मन्सुर अली प्रार्थीगण की ओर से
श्री हिम्मताराम गहलोत अप्रार्थीगण की ओर से

निर्णय

दिनांक : 25.02.2021

प्रार्थी ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान कास्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया है कि ग्राम जालीवाड़ा खुर्द पटवारी क्षैत्र नानण तहसील पीपाड़ शहर की सरहद में प्रार्थीगण की कृषि भूमि खसरानम्बर 93/1 रकबा 1.7394 हैक्टयर किस्म बारानी तृतीय, व खसरानम्बर 93/3 रकबा 1.7313 हैक्टयर किस्म बारानी द्वितीय स्थित है । प्रार्थीगण अपने खेत खसरा नम्बर 93/1 व 93/3 में आने जाने के लिए खसरा नम्बर 93/2 की पूर्वी माठ के सहारे–सहारे रास्ते का उपयोग करते है यानि खसरा नम्बर 93/2 की पूर्वी माठ के सहार–सहारे होकर अपने खेतो में जाते है व कृषि कार्य करते है । खसरा नम्बर 93/2 जो कि खसरा नम्बर 94 जो कि गैर मुमकिन रास्ता पर स्थित है तथा प्रार्थीगण गैर मुमकिन रास्ता खसरा नम्बर 94 से खसरा नम्बर 93/2 में प्रवेश कर खसरानम्बर 93/2 की पूर्वी माठ के सहारे–सहारे अपने खेतो में पहुचते है । प्रार्थीगण के खेत खसरानम्बर 93/1 व 93/3 में आने जाने के लिए तथा कृषि कार्य के लिए खसरानम्बर 93/2 की पूर्वी माठ के सहारे–सहारे उपयोग किये जाने वाले रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है । पूर्व में खसरा नम्बर 93/1, खसरा नम्बर 93/2 व खसरा नम्बर 93/3 एक ही मूल खसरा नम्बर 93 के भाग थे तथा प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं.1 की पूर्व में संयुक्त खातेदारी थी तथा खेतो में आने जाने के लिए रास्ते अलग रूप से नही थे उस समय अप्रार्थी ने प्रार्थीगण ने रास्ता रोका था तब प्रार्थीगण ने न्यायालय तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क आर.टी.एक्ट के तहत प्रस्तुत किया जो दिनांक 09.09.1996 को राजस्व प्रकरण सं. 05/96 निर्णित हुआ व अप्रार्थी सं. 1 को पाबंद

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

किया गया कि वह वर्तमान खसरा नम्बर 93/3 की पूर्वी माठ के सहारे–सहारे स्थित रास्ते को अवरूद्ध नही करे न ही किसी अन्य से करावे लेकिन उस समय रास्तो को अलग से तरमीम करने व राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने के आदेश पारित नही किये जाते थे क्योकि कृषि भूमि संयुक्त खातेदारी की होती थी। प्राथ्र्थीगण ने अप्रार्थी सं. 1 को वादग्रस्त रास्ते को राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवाने हेतु कई बार निवेदन किया लेकिन अप्रार्थी सं. 1 नही माना व अप्रार्थी सं. 1 को प्रार्थीगण ने विधि अनुसार मुआवजा राशि डीएलसीदर से देने का भी प्रयास किया लेकिन अप्रार्थी सं. 1 नही माना व दिनांक 24.11.2019 को अप्रार्थी सं. 1 ने एक मात्र वैकल्पिक रास्ते को खाई खोद कर बंद कर दिया व साथ चल कर रास्ता देने या रास्ते को राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करवाने या रास्ता हेतु जमीन देने से भी स्पष्ट रूप से मना कर दिया । लिहाजा प्रार्थन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 93/1 व खसरा नम्बर 93/3 में आवागमन हेतु खसरानम्बर 93/2 की पूर्वी माठ के सहारे–सहारे 20 फीट चौड़ाई में संलग्न नजरी नक्शे अनुसार मार्क ABCD भूमि को गैर मुमकिन रास्ता घोषित किये जाने के सादर आदेश राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 क के प्रावधानो के अनुसार फरमाये जावे व राजस्व रेकर्ड में उक्त घोषित किये जाने वाले रास्ते की तरमीम व नामातंरण इन्द्राज करने के आदेश भूमिधारी तहसीलदार पीपाड़ शहर को फरमाया जावें ।

प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये अप्रार्थी सं. 1 की ओर से वकील हिम्मताराम गहलोत द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया और उनकी ओर जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि नजरी नक्शे में रास्ता प्रार्थी व अप्रार्थी के खेत के पश्चिमी माठ से मांग रहे है व प्रार्थना पत्र के अन्तिम में रिलीफ खसरा नम्बर 94/2 की पूर्वी माठ से 20 फीट रास्ते की मांग की गई है । इस प्रकार प्रार्थना पत्र काबिल खारिज फरमाया जावें एवं माननीय न्यायालय द्वारा मौका देखा गया उसके अनुसार ही प्रार्थी का प्रार्थनापत्र अन्य 2 नजदीकी रास्ते होने से प्रार्थी के प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है । अप्रार्थी सं. 2 तहसीलदार पीपाड़ शहर ने दिनांक 17.01.2020 को मौका कमिश्नर रिपोर्ट प्रस्तुत की जिन पर वकील अप्रार्थी द्वारा आपति किये जाने पर पुनः मौका कमिश्नर रिपोर्ट दिनांक 02.02.2020 को मंगवायी गयी जो प्रस्तावित वैकल्पिक रास्ता ग्राम जालीवाड़ा खुर्द के खसरा नम्बर 93/2 रकबा 0.0538 हैक्टयर की वर्तमान डीएलसी दर से राशि 14400/– रूपये मालियत बनती है जिसकी दुगुनी राशि 28800/– रूपये बनती है । जो एबीसीडी दूरी = 58 X 2.3 गट्टा = 133 वर्ग गट्टा अर्थात 0.06.13 बीघा है । इसी प्रकार दूसरा प्रस्तावित रास्ता ग्राम जालीवाड़ा के

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

खसरा नम्बर 9310 रकबा 0.0724 हैक्टयर की वर्तमान डीएलसी दर से राशि 19350/- रूपये मालियत बनती है जिसकी नियमानुसार दुगुनी राशि 38700/- रूपये बनती है । जो क ख ग घ दूरी = 78 X 2.3 गट्टा = 179 वर्ग गट्टा अर्थात 0.08.19 बीघा बनती है ।

हमने बहस वकुलाय सुनी व पत्रावली का अवलोकन किया । पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज एवं मौका कमिश्नर रिपोर्ट दिनांक 02.02.2020 का अवलोकन करने पर पाया कि अब प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 93/1 व 93/3 में आने जाने हेतु अप्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 93/2 में से मार्क ए बी सी डी 133 वर्ग गट्टा अर्थात 0.06.13 बीघा भूमि दिया जाना प्रस्तावित है ।

अतः राजस्व ग्राम जालीवाड़ा खुर्द के खसरा नम्बर 93/1 व 93/3 में आने जाने हेतु खसरा नम्बर 93/2 में से प्रस्तुत कमिश्नर रिपोर्ट दिनांक 02.02.2020 लाल स्याही से दर्शाये मार्क ए बी सी डी कुल क्षैत्रफल 133 वर्ग गट्टा अर्थात 0.06.13 हैक्टयर भूमि को रास्ते के उपयोग हेतु घोषित की जाती है । जिसकी मालियत राशि रूपये 14400/- रूपये प्रति हैक्टयर बनती है । जिसकी नियमानुसार दुगुनी राशि 28800/- रूपये बनती है । प्रार्थी राशि 28800/- रूपये का चैक/डी.डी. अप्रार्थी/राजकोष के नाम से तहसीलदार पीपाड़ शहर के समक्ष अप्रार्थी को अदा करने हेतु जमा करावें ।

तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेश दिया जाता है कि राशि 28800/- रूपये का चैक/डी.डी. प्राप्त कर अप्रार्थीगण/राजकोष को भुगतान करें एवं रास्ते की भूमि की तरमीम राजस्व नक्शे में करें । इस आश्य की तहरीर तहसीलदार पीपाड़ शहर के नाम जारी हो । मौका कमिश्नर रिपोर्ट दिनांक 02.02.2020 व उसमें संलग्न मौका फर्द एवं नजरी नक्शे को निर्णय का अंग समझा जावें । खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें ।

(शैतानसिंह राजपुरोहित)
सहायक कलक्टर (SDO)
पीपाड़ शहर

निर्णय आज दिनांक 25.02.2020 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

(शैतानसिंह राजपुरोहित)
सहायक कलक्टर (SDO)
पीपाड़ शहर